03

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

1. सुधार और नीति

1.1. कोयला लिंकेज नीति का कार्यान्वयन

(i) गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी हेतु नीति

सीआईएल कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.02.2016 को जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार गैर–विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत स्पंज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, अन्य (गैर–कोकिंग)', इस्पात (कोकिंग) और 'अन्य (कोकिंग)' उप–क्षेत्रों के लिए कोयला लिंकेज की नीलामी आयोजित कर रही है। नीलामी की पांच दौर पहले ही पूरे हो चुके हैं और **छठा दौर चल रहा है,** जहां सफल बोलीदाताओं द्वारा प्रति वर्ष कुल **155.42 मिलियन** टन लिंकेज बुक किए गए हैं। एनआरएस लिंकेज नीलामी के छठे दौर में नवंबर, 2023 तक, 30.37 मि.ट. कोयले की कुल प्रस्तावित मात्रा में से, सफल बोलीदाताओं द्वारा 24.23 मि.ट. कोयले की बुकिंग की गई है।

(ii) भारत में पारदर्शी रूप से कोयला (कोयला) के दोहन और आबंटन की स्कीम (शक्ति) नीति

जनवरी से नवंबर 2023 तक शक्ति नीति के ख (viii) (क) के तहत कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिंकेज नीलामी के पांच दौर आयोजित किए गए हैं। 35.53 मि.ट. कोयले की कुल प्रस्तावित मात्रा में से, सफल बोलीदाताओं द्वारा 27.99 मि.ट. कोयले की बुकिंग की गई है।

शक्ति ख (i): जनवरी से नवंबर 2023 तक 13420 मेगावाट की क्षमता के लिए शक्ति ख (i) के तहत 11 केंद्रीय/राज्य जेनको को कोयला लिंकेज दिए गए।

शक्ति ख (iii): जनवरी से नवंबर 2023 तक की अवधि के दौरान सीआईएल द्वारा आयोजित शक्ति ख (iii) लिंकेज नीलामी का चौथा दौर। 8.10 मि.ट. कोयले की कुल प्रस्तावित मात्रा में से 4.30 मि.ट. कोयले की बुकिंग सफल बोलीदाताओं ने की थी।

1.2. नई नीतिगत पहलें

(i) गैर–विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के कोयला लिंकेज की नीलामी संबंधी नीति के अंतर्गत नया उप–क्षेत्रः– कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनआरएस लिंकेज नीलामियों के अंतर्गत वर्ष 2022 में *'सिन–गैस के उत्पादन से उत्पन्न कोयला गैसीकरण'* सृजित किया गया है ताकि कोयला गैसीकरण के लिए कोयले की आवश्यकता वाले नए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा सके।यह पर्यावरण पर कोयले के पारंपरिक उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम करेगा।

(ii) कोयले की ई–नीलामी के लिए सिंगल विंडो – सरकार ने कोयला कंपनियों द्वारा कोयले की ई–नीलामी के लिए एक नए कार्यतंत्र को अनुमोदित किया है। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय ई–नीलामी विंडो कोल इंडिया लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है और अब से, कोयला कंपनियों के सभी गैर–लिंकेज कोयले की बिक्री कोल इंडिया लिमिटेड/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड की एक ई–नीलामी विंडो के माध्यम से की जाएगी। यह सिंगल ई–नीलामी विंडो व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों अर्थात विद्युत और गैर–विनियमित क्षेत्र को पूरा करेगी। इसलिए, किसी भी विशेष ग्रेड का कोयला बाजार में सभी उपभोक्ताओं को एक दर (वन नेशन–वन कोल ग्रेड, वन रेट) पर बेचा जाएगा।

सिंगल ई–नीलामी विंडो कोयला कंपनियों को बाजार

द्वारा खोजे गए मूल्य कार्यतंत्र के माध्यम से कोयला बेचने में सक्षम बनाएगी और इस प्रकार, इस नीति को लागू करने से बाजार की विकृतियों को दूर किया जा सकेगा। यह प्रचालन क्षमता में भी वृद्धि करेगा और घरेलू कोयला बाजार में दक्षता द्वारा घरेलू कोयले की मांग में वृद्धि करेगा।

(iii) एनसीडीपी में संशोधनः राष्ट्रीय हित में कोयला संसाधनों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी), 2007 में संशोधन के माध्यम से सक्षम प्रावधान किए गए हैं ताकि सीआईएल/एससीसीएल की बंद/परित्यक्त/समाप्त खानों से उत्पादित कोयले को कोयला मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बेचा जा सके।

(iv) कोयला कंपनियों के गैसीकरण संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेजः सीआईएल/एससीसीएल को कोयला कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपने स्वयं के गैसीकरण संयंत्रों को कोयले का दीर्घकालिक आबंटन प्रदान करने की अनुमति दी गई है। यह कदम देश में कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करेगा और कोयले के इस नए उपयोग की शीघ्र स्थापना में मदद करेगा।

1.3. भूमि अधिग्रहण

कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देशः

कोयला मंत्रालय ने अप्रैल, 2022 में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत, जो भूमि कोयला खनन गतिविधियों के लिए उपयुक्त या आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है या जिसे खनन/डी–कोलिंग के बाद पुनरूद्धारित किया गया है, उन पर क्रमशः पट्टे की एक विशेष अवधि के लिए विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास गतिविधियों जैसे 30 वर्षों की अधिकतम पट्टा अवधि के लिए कोयला वॉशरी स्थापित करना, अधिकतम 30 वर्षों की पट्टा अवधि के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण करना, अधिकतम 35 वर्षों की पट्टा अवधि के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले से रासायनिक संयंत्र बनाने आदि के लिए विचार किया जाएगा।

दिनांक 01.01.2023 से 20.12.2023 तक की अवधि के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के लिए कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (1) के तहत कुल 9695.7215 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 की धारा 11 (1) के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों को कुल 4052.041 एकड़ भूमि निहित की गई है।

कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न अधिनियमों (अर्थात सीबीए अधिनियम, आरएफसीटीएलएआरआर, अधिनियम (पूर्ववर्ती एलए अधिनियम, 1894) और करार आदि के माध्यम से अधिग्रहित भूमि का विवरण, जिसे दिनांक 05.12.2023 की स्थिति के अनुसार पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	कुल अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर)	पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया भूमि का डाटा
1	2	3	4
1.	ईसीएल	26901.08	24800.10
2.	बीसीसीएल	16381.09	16381.09
3.	सीसीएल	74366.4	73317.8
4.	डब्ल्यूसीएल	38496.53	34496.53
5.	एनसीएल	24294.6	24340.55
6.	एसईसीएल	57571.7	56951.655
7.	एमसीएल	30228.51	30228.51
	कुल	**2,68,239.91**	**2,60,516.235**

1.4. खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2022

कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2022 को दिनांक 07.09.2022 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करके खनिज रियायत नियम, 1960 (एमसीआर) में संशोधन किया है ताकि इसके प्रावधानों को गैर–आपराधिक बनाया जा सके। एमसीआर टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे जैसी खनिज रियायतों के आवेदन और अनुदान को विनियंत्रित करता है। ये रियायतें खानों के विकास और प्रचालन के लिए पूर्व–आवश्यकताएं हैं, जिसमें व्यवसायों की ओर से कई अनुपालन शामिल हैं।

सरकार व्यापार और नागरिकों के लिए अनुपालन को कम करने के लिए पहल कर रही है। सरकार की *'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'* नीति को और बढ़ावा देने के लिए, एमसीआर में संशोधन ने अड़सठ (68) प्रावधानों को गैर–आपराधिक बना दिया, जबकि एमसीआर के दस (10) प्रावधानों के लिए जुर्माना कम कर दिया गया है।

अतिरिक्त अथवा कम रायल्टी के समायोजन के लिए एक्सप्रेस प्रावधान शुरू किया गया है। इसके अलावा, सरकार को देय किराया, रॉयल्टी, शुल्क या अन्य राशियों के देरी से भुगतान पर दंडात्मक ब्याज की दर चौबीस प्रतिशत (24%) से घटाकर बारह प्रतिशत (12%) कर दी गई है। यह आशा की जाती है कि इन प्रावधानों से कोयला खनन क्षेत्र में अति आवश्यक आर्थिक छूटों को वहन किया जा सकेगा।

1.5 कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2023

कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 को संशोधित किया गया है और इसे बोली सुरक्षा स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान को शामिल करते हुए ऑनलाइन जमा के रूप में दिनांक 29.05.2023 को अधिसूचित किया गया है।

1.6 संशोधित झरिया मास्टर प्लान

अगस्त, 2021 में झरिया मास्टर प्लान की समाप्ति के बाद भी, कोयला मंत्रालय मासिक आधार पर बीसीसीएल और जेआरडीए द्वारा की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा करना कर रहा है। झरिया मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए वर्ष 2021 में सचिव कोयला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें आग बुझाने, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और आगे का रास्ता प्रस्तावित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस समिति ने समिति, सीओएस, डीओई की सिफारिशों के आधार पर एक कार्य योजना तैयार की है, एक डीसीएन तैयार किया गया है जो अनुमोदनाधीन है।

1.7 भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देना

भूमिगत खनन की वृद्धि ओपनकास्ट खनन के साथ तालमेल नहीं रख सकी, जो वित्त वर्ष 2022–23 तक लगभग 9–10 गुना बढ़ गई और इसी अवधि में भूमिगत खनन से उत्पादन में 58–59% तक शीघ्रता से गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर, प्रमुख कोयला उत्पादकों के पास भूमिगत खनन पद्धतियों से कोयला उत्पादन का काफी हिस्सा है। हालांकि, पिछले 2 वर्षों में भूमिगत कोयला उत्पादन में भारत की कुल हिस्सेदारी 4% थी।

भारत सरकार ने यूजी खानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए यूजी विजन प्लान तैयार किया है तथा सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के लिए वर्ष 2027–28 तक 100 मि.ट. उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक नीलामी प्रणाली के तहत यूजी खानों की नीलामी भी कर रहा है। विचार यह है कि 2030 तक यूजी खनन से भारत के कोयला उत्पादन का कम से कम 10% उत्पादन किया जाए।